

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-46/2012

1- मोहन
2- मन्नाराम
पुत्रान नन्दाराम जाति माली निवासी ढाणी बागोरिया
तन चिराणा तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनूँ राज0ँ
---अपीलान्टस्---

---बनाम---

- 1- कलूराम उर्फ कालूराम पुत्र देबूराम निवासी ढाणी बागोरियों की तन
गण्ड
2- अण्णी देवी बेवा बनवारी गाम चिराणा तहसील नवलगढ जिला
झुन्डुनूँ ।
3- सीताराम
4- बोदूराम पुत्रान बनवारी जाति माली निवासी गण्ड/बागोरियाकी
5- बल्लाराम तन गाम चिराणा तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनूँ ।
6- शांति देवी पुत्री बनवारी पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी रामपुरा
तन खण्डेला जिला सीकरँ राज0ँ
7- धोली पुत्री बनवारी पत्नी लक्ष्मणनारायण जाति माली निवासी गाम
कांवट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
8- सावित्री पुत्री बनवारी पत्नी ओम्प्रकाश जाति माली निवासी गंगाराम
की ढाणी तन खण्डेला जिला सीकरँ राज0ँ
9- शैतान पुत्रान नन्दाराम जाति माली निवासी ढाणी बागोरियांकी
10- तेजाराम गाम चिराणा तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनूँ राज0ँ
11- तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनूँ राज0ँ
12- उप पंजीयक तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनूँ राज0ँ

---रेस्पोंडेण्टस्---

अपील विरुद्ध निर्णय एवं डिक्ली
दिनांक 25-11-2011 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नवलगढ ।

---0---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति-

- 1- श्री विजयपाल एडवोकेट अपीलान्ट
- 2- श्री जिनेन्द्र वैष्णव एडवोकेट- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय दिनांक- 25.1.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट सं०-1 ने अदालत मातहत में दावा बाबत कब्जा जमीन व हर्जाना का पेशा कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी बागोरियों की दाणी तन चिराना के स्थाई विवासी है। आराजी ख०नं० 817 रकबा 0.46 हैक्टर, ख०नं० 814 रकबा 0.25 हैक्टर बंटवारा होकर विभाजन की डिक्री वादी एवं प्रतिवादी सं०-6 के नाम से जारी हो गई। अब इस आराजी में प्रतिवादीगण का कोई तालुक नहीं है। उक्त आराजी का नामान्तरकरण वादी एवं उसकी माता के नाम नामा०सं०518 दिनांक 29-3-2008 तस्दीक किया जा चुका। आराजी ख०नं० 817 के दक्षिण दिशा में सड़क निकल जाने से प्रतिवादीगण इस आराजी पर गलत नियत रखते हैं तथा इस आराजी से वादी को लठ के बल पर बेदखल कर कब्जा कर लिया और कब्जा नहीं छोड़ने की धमकी दी है। जिस पर यह दावा अदालत मातहत में पेशा कर ख०नं० 817 रकबा 0.46 हैक्टर पर प्रतिवादीगण ने जो नाजायज कब्जा किया है उस पर से प्रतिवादी को पुलिस फौर्स की सहायता से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जावे। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी वादी का दावा स्वीकार कर उक्त आराजी ख०नं० 817 से प्रतिवादी सं०-1 से 5 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेशा दिये जिससे धुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व ज्यूडिसियल मैजिस्ट्रेट अपलाई नहीं किया। रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 ने दावा गलत आधारों पर

अधिकार बताया है तथा अपने नाम से गलत रेकार्ड दर्ज करवाया है तथा तहसीलदार को अपने प्रभाव में लेकर तथ्यों को छिपाते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अपीलान्ट के पुखता कब्जा गुद्धा खसरा नं0 817 को अपने नाम से गलत दर्ज करवाया है । जबकि उक्त खसरा नम्बर पर अपीलान्ट के पुखता निर्माण पैत्रिक रूप से है । जिनकी अनदेखी करते हुये अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है। जबकि अपीलान्ट मौखिक बंटवारे में आई अपने हिस्से की उक्त आराजी पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज है । उक्त आराजी के चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो प्रकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलान्ट ने उक्त आराजी को छ काफी मेहनत एवं धन खर्च कर उपजाऊ बनाया है । इस आराजी से यदि अपीलान्ट को बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्णाय क्षति होगी अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुने आदेश पारित किया है । जिसके जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेशा है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर उक्त आराजी से अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया जावे । तथा इस आराजी पर अपीलान्ट के पुखता मकान चाह व बाड को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचायें । बंटवारा के अनुसार अपीलान्ट को मौके पर काबिज रहने दिया जावे । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर योग्य अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभावकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया उप खण्ड अधिकारी नवलगढ ने दिनांक 20-12-2006 को प्राथमिक डिक्री जारी कर मौके के विभाजन प्रस्ताव मंगवाये । विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 13-8-2007 को अन्तिम डिक्री जारी की गई । नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2066 से संवत् 2065 2064 2063 2062 2061 2060 2059 2058 2057 2056 2055 2054 2053 2052 2051 2050 2049 2048 2047 2046 2045 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 1840 1839 1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1769 1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713 1712 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685 1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1657 1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573 1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307 1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279 1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195 1194 1193 1192 1191 1190 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1183 1182 1181 1180 1179 1178 1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1167 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153 1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 1139 1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013 1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871 870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819 818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

पू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर


रकबा 3.11 हैक्टर की खातेदारी मोहन, बनवारी, तेजा, शैतान मन्ना, राम सिंह पि० नन्दा हि० 5/6 कालु पुत्र देबूराम, पूरली बेवा देबूराम हि० 1/6 दर्ज है। जिस पर नामान्तरकरण सं०- 518 दिनांक 29-3-2008 के अनुसार कालुराम पुत्र देबूराम, पुरलीदेवी पत्नी देबू माली के हिस्से में ख०नं० 817 रकबा 0.46 हैक्टर, ख०नं० 814 रकबा 0.25 हैक्टर का खाता अलग दर्ज करने का नोट दर्ज है। अन्तिम डिक्री के बाद वादी ने यह दावा बेदखली एवं कब्जा दिलाने का पेशा किया। जिसमें अदालत मातहत ने कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये। जिस पर तहसीलदार ने मौके पर रेस्पोंडेन्ट को बेदखल कर दिनांक 26-3-12 को कब्जा हटाकर भौतिक रूप से कब्जा ~~हटाकर~~ रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 कालुराम को सम्भलाया जाना दर्ज है। इस पर विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि विवादित आराजी पर आज भी हमारा कब्जा है हमें किसी ने नहीं हटाया है। रेस्पोंडेन्ट का ख०नं० 817 पर कोई कब्जा नहीं है। किन्तु अपीलान्ट ने इस कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य पेशा नहीं की बल्कि अपीलान्ट को मौके से बेदखल कर कब्जा सम्भलाये जाने की रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 के वकील ने फर्द मौका पेशा की। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को सम्भलाया है जिसकी फर्द मौका दिनांक 26-3-12 से पुष्टि होती है। तथा जमाबन्दी सम्मत 2063 से 2066 में ख०नं० 817 रकबा 0.46 हैक्टर एवं ख०नं०-814 का खाता अलग से नामा०सं० 518 से अलग दर्ज किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से अदालत मातहत के आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है। जिससे हम अदालत मातहत के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नवलगढ़ का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25-11-2011 को यथावत रखा जाता है।


श्री-प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेश राजस्व अधिकारी
सिकर

--5--

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 25.1.2018 को सुनाया गया ।


१ भंवरलाल मेहरडा २५.१.१८

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर